



::आदेशः

भोपाल, दिनांक 15.09.2020

क्रमांक शाखा-01/स्था./लोकायुक्त/2020/138/0 राज्य शासन द्वारा नगर परिषद बड़नगर जिला उज्जैन में श्री कुलदीप किंशुक मूल पद राजस्व उप निरीक्षक को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।

श्री किंशुक द्वारा आय से अधिक एवं अनुपातहीन संपत्ति रखने की शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा इनके निवास एवं अन्य स्थानों पर दिनांक 15.09.2020 को छापा मारने की कार्यवाही की गई जिसमें लोकायुक्त को अनुपातहीन संपत्ति प्राप्त होने की जानकारी सामने आई है। इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। प्रथम दृष्टया श्री किंशुक का आचरण लोक सेवको से अपेक्षित मर्यादा के विपरीत है तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम -3 का उल्लंघन है।

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के तहत श्री कुलदीप किंशुक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बड़नगर जिला उज्जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री कुलदीप किंशुक का मुख्यालय संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा तथा निलंबन अवधि में श्री किंशुक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते पात्रता रहेगी जो नगर परिषद बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा देय होगा।

Murli
(निकुंज श्रीवास्तव)
आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां. क्रं./शाखा-01/स्था./लोकायुक्त/2020/138// भोपाल, दिनांक 15.09.2020
प्रतिलिपि :- (निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही)

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र. भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र. भोपाल।
3. कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.।
4. पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग उज्जैन म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया श्री किंशुक के विरुद्ध आरोप पत्र आदि के प्रारूप 15 दिवस में प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. प्रशासक नगर परिषद बड़नगर जिला उज्जैन म.प्र.।
7. श्री कुलदीप किंशुक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बड़नगर जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Murli
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल